न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: भागीरथ बिश्नाई, आर.ए.एस.

राजस्व विविधः: 05/2017::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये तहसीलदार, रायपुर जिला पाली		भंवरिया पुत्र घीसा (मूल आवंटी) के वारिस 1. शिवलाल पुत्र भंवरू 2. नैना पुत्र भंवरू 3. प्रेम पुत्री भंवरू 4. सुशीला पुत्री भंवरू 5. गीता पुत्री भंवरू जातिगण सरगरा, निवासीगण रावणिया, तहसील रायपुर जिला पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार पाली
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से एडवोकेट श्री चन्द्र प्रकाश वैष्णव

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :–23/10/2018

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पूर्वज के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी, जैतारण द्वारा आदेश क्रमांक 176–178 दिनांक 26.06.1970 के द्वारा तहसील रायपुर के ग्राम रावणिया पटवार हल्का सुमेल के खसरा नम्बर 1025/399 रकबा 07.07 बीघा का आवंटन भंवरिया पुत्र घीसा के पक्ष में किया गया को निरस्त किये जाने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 से 5 तक बावजुद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहे। अतः प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के विरूद्ध गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। सरकारी पैरोकार एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी भंवरिया पुत्र घीसा के पक्ष में भू–आवंटन नियमन सलाहकार समिति (उपखण्ड अधिकारी, जैतारण) द्वारा तहसील रायपुर के ग्राम रावणिया के खसरा नम्बर 1025/399 रकबा 07.07 बीघा का आवंटन आदेश क्रमांक 176–178 दिनांक 26.06.1970 के द्वारा किया गया। जिसकी पालना में नायब तहसीलदार रायपुर द्वारा भंवरिया पुत्र घीसा के हक में नामान्तरकरण संख्या 162 दिनांक 02.07.1976 को दर्ज किया गया तथा उसके देहान्त के पश्चात उसके वारिशान को जरिये नामान्तरकरण संख्या 1005 दिनांक 15.07.2015 के द्वारा देह गैर खातेदार दर्ज किया गया। आंवटी द्वारा वक्त आंवटन से कुछ ही वर्षो तक काश्त की है बाकी वर्षो में कोई काश्त नही की है। पटवारी हल्का सुमेल की मौका रिपोर्ट दिनांक 07.04.2017 के यह अंकन है कि जैर प्रार्थना पत्र आराजी पर न तो भंवरिया पुत्र घीसा के वारिसों का कब्जा है तथा न ही काश्त है। अप्रार्थी भंवरिया पुत्र घीसा एवं उसके वारिसों द्वारा आंवटन शर्तो की पालना नही किए जाने से आंवटन निरस्त किया जावें।

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ने अपने जवाब एवं वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी भंवरिया पुत्र घीसा के पक्ष में भू–आवंटन नियमन सलाहकार समिति (उपखण्ड अधिकारी, जैतारण) द्वारा आदेश क्रमांक 176–178 दिनांक 26.06. 1970 के द्वारा तहसील रायपुर के ग्राम रावणिया के खसरा नम्बर 1025/399 रकबा 07.07 बीघा का आवंटन किया गया। जिसकी पालना में नायब तहसीलदार रायपुर द्वारा भंवरिया पुत्र घीसा के हक में नामान्तरकरण संख्या 162 दिनांक 02.07.1976 को दर्ज किया गया तथा उसके देहान्त के पश्चात उसके वारिशान को जरिये नामान्तरकरण संख्या 1005 दिनांक 15.07.2015 के द्वारा देह गैर खातेदार दर्ज किया गया। जैर प्रार्थना पत्र आराजी पर वक्त आवंटन से अप्रार्थी का कब्जा व काश्त था तथा उसकी मृत्युपरान्त उसके वारिशों का आदिनांक तक कब्जा व काश्त है। पटवारी हल्का द्वारा जो गिरदावरी दर्ज की है उसकी जानकारी अप्रार्थी तथा अप्रार्थी के वारिशान को नहीं है तथा पटवारी हल्का ने जो मौका रिपोर्ट तैयार की है, वह भी जानबुझ कर गलत रिपोर्ट तैयार की है। जबकि वास्तव में मौके पर अप्रार्थी के वारिशान का कब्जा काश्त है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी भंवरिया पुत्र घीसा के हक में किया गया आवंटन को बहाल रखते हुए जैर प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2013 (1) पेज 192, आर0आर0डी0 1999 पेज 456, आर0आर0डी0 2001 पेज 126, आर0आर0डी0 2001 पेज 133 तथा आर0आर0डी0 2001 पेज 467 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

पत्रावली तथा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया । अप्रार्थी भंवरिया पुत्र घीसा के पक्ष में भू–आवंटन नियमन सलाहकार समिति (उपखण्ड अधिकारी, जैतारण) द्वारा तहसील रायपुर के ग्राम रावणिया के खसरा नम्बर 1025/399 रकबा 07.07 बीघा का आवंटन आदेश क्रमांक 176–178 दिनांक 26.06. 1970 के द्वारा किया गया। जिसकी पालना में नायब तहसीलदार रायपुर द्वारा भंवरिया पुत्र घीसा के हक में नामान्तरकरण संख्या 162 दिनांक 02.07.1976 को दर्ज किया गया तथा इसके देहान्त के पश्चात उसके वारिशान को जरिये नामान्तरकरण संख्या 1005 दिनांक 15.07.2015 के द्वारा देह गैर खातेदार दर्ज किया गया। पटवारी हल्का सुमेल की मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली संलग्न गिरदावरी रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि जैर प्रार्थना पत्र आराजी पर अप्रार्थी द्वारा संवत् 2034 से 2073 तक में संवत् 2040, 2050, 2058, 2059 व 2060 से 2073 तक के वर्षो में काश्त दर्ज की गई है शेष वर्षों मे काश्त दर्ज नहीं की गई। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी एंव उसके वारिशान द्वारा राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की गई है, जो कि किया जाना आज्ञापक है। राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (3) में उल्लेख है कि " The allottee shall have to cultivate at least 50% of the land in the first year of allotment and the remaining area in the second yeat." इस सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त आर0आर0टी0 2013 (1) पेज 192 सुसंगत है, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि "Condition to cultivate 50% of the land first years has been omitted in the year 1999" इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1999 में राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (3) को यथा–संशोधित किया जा चुका है। इसके

अति० जिला कलेक्टर, पाली

अतिरिक्त उक्त न्यायिक सिद्धान्त में जिन तथ्यों को रेखांकित किया गया है, उन तथ्यों से हस्तगत प्रकरण में वर्णित तथ्य भिन्न होने के कारण यह न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण में पूर्णतः चस्पा नहीं होता है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त आर0आर0डी0 1999 पेज 456, आर0आर0डी0 2001 पेज 126, आर0आर0डी0 2001 पेज 133 तथा आर0आर0डी0 2001 पेज 467 सम्माननीय अवश्यक है तथा वे समस्त सिद्धान्त खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात आवंटन को निरस्त करने से सम्बन्धित है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में आवंटी एवं आवंटी फौत होने के पश्चात आवंटी के वारिशान का कब्जा काश्त ही मौके पर नहीं है एवं कब्जा काश्त नहीं होने के कारण खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए गए है। इन कारणों से उक्त न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होतें है। प्रकरण में यह प्रमाणित तथ्य है कि जैर प्रार्थना पत्र विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है, जो आवंटन की आज्ञापक शर्तों के उल्लंघन की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण आवंटन को बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी भंवरिया पुत्र घीसा को तहसील रायपुर के ग्राम रावणिया के खसरा नम्बर 1025/399 रकबा 07.07 बीघा का आवंटन भू–आवंटन नियमन सलाहकार समिति (उपखण्ड अधिकारी, जैतारण) द्वारा आदेश कमांक 176–178 दिनांक 26.06.1970 के द्वारा किया गया था, उसको निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार, रायपुर को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि वे उक्त भूमि राज्यहित में लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब भिजवावें।

(भागीरथ बिश्नाई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

आदेश आज दिनांक 23/10/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नाई)
अति. जिला कलक्टर, पाली